प्रेस नोट

दिनांक – 21.10.2026

"पुलिस स्मृति दिवस" के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में अमर शहीद पुलिस जवानों को पुलिस उप-महानिरीक्षक देवीपाटन रेंज एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा सहित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों ने श्रद्धा-सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि-

आज दिनांक 21.10.2026 को "पुलिस स्मृति दिवस" के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस उप-महानिरीक्षक देवीपाटन रेंज श्री अशोक कुमार एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक सहित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों एवं पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा देश एवं समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धा-सुमन अर्पित कर नमन किया गया। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान पुलिस उप-महानिरीक्षक देवीपाटन रेंज श्री अशोक कुमार एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दो मिनट का मौन धारण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। "पुलिस स्मृति दिवस" पुलिस बल के उन वीर जवानों की शहादत को स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं जनसेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर पुलिसकर्मियों के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा एवं बलिदान को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर पुलिस उप-महानिरीक्षक देवीपाटन रेंज श्री अशोक कुमार एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा पुलिस बल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, अनुशासन एवं समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही शहीद पुलिस जवानों के त्याग एवं बलिदान को सदैव स्मरण रखने तथा उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर जनसेवा एवं राष्ट्रहित में कार्य करने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री नितेश, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष सहित जनपद के पुलिस के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 22.10.2026

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा भैंस चोरी की घटना का खुलासा, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की भैंस की बिक्री से प्राप्त ₹83,000/- नगद व 02 मोबाइल फोन बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 01.10.2026 की रात्रि करीब 11:30 बजे थाना इटियाथोक क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तेलियानी पाठक डिहवा निवासी रामदीन पुत्र मनोरथ की भैंस, जो उनके मकान के बरामदे में बंधी थी, को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया था। चोर भैंस के साथ उसकी नवजात पड़िया को भी ले गये थे। उक्त संबंध में थाना इटियाथोक पर मु0अ0सं0 348/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही—

दिनांक 20.10.2026 को उ0नि0 मोहम्मद गुफरान मय पुलिस टीम क्षेत्र में देखभाल एवं रोकथाम अपराध तथा मूर्ति विसर्जन सम्बन्धी शांति व्यवस्था ड्यूटी में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तेलियानी पाठक डिहवा में हुई भैंस चोरी की घटना में संलिप्त दो व्यक्ति पड़री पारा सराय नहर के पास खड़े हैं तथा पुनः चोरी की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपने साथी विजय कुमार के साथ मिलकर दिनांक 01.10.2026 की रात्रि में ग्राम तेलियानी पाठक डिहवा से भैंस एवं उसकी पड़िया चोरी कर पिकअप वाहन से ले जाने तथा भैंस को बाराबंकी स्थित स्लॉटर हाउस में ₹85,000/- में बेचने की बात बताई। अभियुक्तों के कब्जे से बिक्री से प्राप्त कुल ₹83,000/- नगद एवं 02 मोबाइल फोन बरामद हुए। बरामद धनराशि में से ₹55,000/- अभियुक्त साहेब आलम तथा ₹28,000/- अभियुक्त अनिल कुमार के कब्जे से प्राप्त हुए। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बहलोलपुर में भी भैंस चोरी की घटना कारित करना बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. साहेब आलम पुत्र शेर मोहम्मद, निवासी इमामबाड़ा छावनी मस्जिद, फैजाबाद रोड, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा
2. अनिल कुमार पुत्र सहज राम, निवासी टड़वा गुलाम, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 348/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 924/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

1. चोरी की भैंस की बिक्री से प्राप्त ₹83,000/- नगद।
2. 02 मोबाइल फोन।

गिरफ्तारकर्ता टीम—

1. उ0नि0 मोहम्मद गुफरान, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।
2. मु0आ0 विनोद सोनी।
3. आ0 दीपक कुमार।
4. आ0 आनंद अग्रहरि।
5. आ0 मुकुंद विश्वकर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट

दिनांक – 21.10.2026

गैर-वित्तीय साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद के विभिन्न थानों द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित-

गोण्डा। आज दिनांक 21.10.2026 को जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों द्वारा आमजन को Non-Financial Cyber Crime Reporting (गैर-वित्तीय साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग) के संबंध में जागरूक करने हेतु साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान Identity Theft (पहचान की चोरी), Social Media Hacking (सोशल मीडिया हैकिंग) एवं Cyber Grooming जैसे गैर-वित्तीय साइबर अपराधों के संबंध में आमजन को जानकारी दी गई। लोगों को सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा, मजबूत पासवर्ड एवं टू-फैक्टर ऑथेन्टिकेशन का प्रयोग करने तथा किसी अनजान व्यक्ति के साथ निजी जानकारी, फोटो अथवा अन्य संवेदनशील जानकारी साझा न करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही साइबर अपराध की घटना होने पर घबराने के बजाय समय से संबंधित थाने/साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने तथा उपलब्ध साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के संबंध में भी जानकारी दी गई।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 21.10.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत कुआनो नदी स्थित भैसहवा घाट पर मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा-

गोण्डा। आज दिनांक 21.10.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत कुआनो नदी स्थित भैसहवा घाट पर मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा विसर्जन स्थल पर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा घाट पर बैरिकेटिंग, प्रकाश व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती तथा नदी में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं एवं मूर्ति विसर्जन के लिए आने वाले जुलूसों के आवागमन को सुचारु बनाए रखने के संबंध में भी आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान घाट पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रखते हुए लगातार सतर्क एवं मुस्तैद रहें तथा भीड़ को नियंत्रित रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नदी घाट पर किसी भी व्यक्ति को गहरे पानी में जाने से रोकने तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मूर्ति विसर्जन के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने, जुलूस के मार्ग पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था रखने तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 21-10-2026

मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा गांवों में पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक-

गोण्डा। मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोण्डा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के दौरान मिशन शक्ति टीमों ने महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें नारी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं स्वावलंबन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं। टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को बताया गया कि वर्तमान समय में डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ने के साथ-साथ साइबर अपराध के विभिन्न तरीके भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते से संबंधित विवरण, ओटीपी, एटीएम/डेबिट कार्ड की जानकारी अथवा अन्य गोपनीय सूचनाएं साझा न करें। अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध कॉल एवं मैसेज के माध्यम से भेजे गए प्रलोभनों में आने तथा सोशल मीडिया पर अपरिचित व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक संवाद करने के संबंध में भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने, अपनी निजी तस्वीरें एवं जानकारियां साझा करते समय सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल संबंधित माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया। जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान मिशन शक्ति टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, पीछा करने, अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न अथवा अन्य किसी अप्रिय घटना की स्थिति में चुप न रहें, बल्कि तत्काल पुलिस को सूचना दें। उन्हें यह भी बताया गया कि पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है तथा उनकी शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में बिना किसी भय या

संकोच के सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान मिशन शक्ति टीमों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सहायता से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई, जिनमें वीमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्पलाइन-181, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 तथा साइबर अपराध हेल्पलाइन-1930 प्रमुख हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं को इन हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। गोण्डा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने, साइबर अपराधों के प्रति सतर्क करने तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोण्डा पुलिस आमजन से अपील करती है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या अपराध की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।